टी०ए० मिस केस सं० 329/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13.06.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **सिदेश्वर देवगम,** पिता– **स्व0 सरजोम देवगम,** ग्राम– **बरान्डेया,** थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **तुईबीर, थाना– 126,** खाता नं०– **160,** प्लॉट नं०– **298, रकवा– 0.08 एकड** भूमि क्रेता **दिनेश बिरूली,** पिता– **राम चन्द्र बिरूली,** ग्राम– **बरकुन्डिया,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दारस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा जी के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक– **378,** दिनांक– **3.6.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **दिनेश बिरूली,** पिता– **राम चन्द्र बिरूली,** ग्राम– **बरकुन्डिया,** थाना– **मुफ्फसिल, चाईबासा** के पास **2,40,000.00/–(दो लाख चालीस हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.00** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **सिदेश्वर देवगम,** पिता– **स्व0 सरजोम देवगम,** ग्राम– **बरान्डेया** थाना– **मुफ्फसिल** क्रेता **दिनेश बिरूली,** पिता– **राम चन्द्र बिरूली,** ग्राम– **बरकुन्डिया,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को **2,40,000.00/–(दो लाख चालीस हजार)** मे मौजा– **तुईबीर, थाना– 126,** खाता नं०– **160,** प्लॉट नं०– **298, रकवा– 0.08 एकड** जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....स्वीकृति..... दी जाती है। लेखापित। 13/6 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 13/6/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner